कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-66/2017-18/

दिनांक : /11/2017

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी,नैनीताल
जनपद- नैनीताल

विषय : जिला विकास अधिकारी, नैनीताल का वर्ष 01-01-2016 से 31-08-2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 06 प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-66/2017-18/ दिनांक: /11/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- आयुक्त ग्राम्य विकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।

2- मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल, जनपद- नैनीताल
।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 66 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला विकास अधिकारी, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी नैनीताल के माह 08/2015 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री हिमांशु शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री मनोहर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01/08/2017 से 14/08/2017 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री विजय कुमार, पर्यवेक्षक तथा श्री विनीत कुमार राही, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10/08/2015 से 21/08/2015 तक श्री आई0 के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **10/2013** से 07/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ---

1. जनसंख्या :
2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या :
3. पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या :
4. उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या :
5. कर्मचारियों की संख्या : 30
6. पंचायतराज की संपत्तियाँ:
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट :
8. योजनाओं की संख्या :
9. (अ) सामाजिक संरक्षा :
   (ब) रोजगार सृजन से संबन्धित :

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें :

(द) लाभार्थियों की संख्या :

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत (धनराशि लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	0.00	321014454	0.00	0.00	365095595	498313750	0.00	0.00	0	187796299
2015-16	0.00	187797299	0.00	0.00	240615087	296428000	0.00	0.00	0	131984386
2016-17	0.00	131984386	0.00	0.00	221237326	205816500	0.00	0.00	0	147405212
2017-18	**0.00**	**147405212**	**0.00**	**0.00**	**173306000**	**51151104**	**0.00**	**0.00**	**0**	**269560108**

लेखे पर टिप्पणीः-

1. मुख्य रोकड़ बही में आय/व्यय का पूर्ण विवरण अंकित नहीं था।
3. भिन्न योजनाओं हेतु भिन्न रोकड़ बही बनाई गई था।
4. धनराशि को समयान्तर्गत कार्यदायी संस्थानों की अवमुक्त नहीं किया गया था।
5. वर्ष के अन्त में एक नहीं धनराशि अवशेष है।

विगत तीन वर्षों से केन्द्रीय, तथा मनरेगा मद से प्राप्त योजनाओं में प्राप्ति तथा व्यय विवरणः- 2014-15 से 2017-18 (अगस्त 2017 तक)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रारम्भिक अवशेष	321014454	187796299	131984386	147405212
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	365095595	240615087	221237326	173306000
क-केन्द्रांश	4302000	3914400	13894700	6418800
ख-राज्याशं	360793595	236700687	207342626	166887200
ग-अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0
व्यय	498313750	296428000	205816500	51151104
अंतिम शेष	**187796299**	**131984386**	**147405212**	**269560108**

विगत तीन वर्षों से केन्द्रीय, सांसद निधि तथा मनरेगा मद से प्राप्त योजनाओं से प्राप्ति तथा व्यय विवरणः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष
2014-15	मनरेगा	501000	4780000	5281000	-
2014-15	बायोगैस	-	-	-	-
2015-16	मनरेगा	-	3736000	3736000	-
2015-16	बायोगैस	-	552000	552000	0
2016-17	मनरेगा	-	13935000	13143000	792000
2016-17	बायोगैस	-	1353200	140000	1213200
2017-18	मनरेगा	792000	7132000	7324000	600000
2017-18	बायोगैस	1213200	0	804050	409150

जिला विकास अधिकारी नैनीताल में वर्ष 2014-15 से 2017-18 (अगस्त 2017) तक आय व्यय का विवरण।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष
2014-15	मनरेगा	501000	4780000	5281000	0
2014-15	विधायक निधि	318111000	322747000	455167000	185691000
2014-15	मेरा गांव मेरी सडक	0	28000000	27883000	117000
2014-15	एकल पेयजल योजना	666704	41095	0	707799
2014-15	दीन दयाल आवास योजना	1735750	1527500	1980750	1282500
2014-15	केन्द्र वित्त (बायोगैस)	0	8000000	8000000	0
2014-15	मनरेगा	0	0	0	0
2015-16	विधायक निधि	0	3736000	3736000	0
2015-16	मेरा गांव मेरी सडक	185691000	214857000	270583000	129965000
2015-16	एकल पेयजल योजना	117000	12250000	12367000	0
2015-16	दीन दयाल आवास योजना	707799	25087	160000	572886
2015-16	केन्द्र वित्त (बायोगैस)	1282500	1695000	1530000	1447500
2015-16	मनरेगा	0	7500000	7500000	0
2015-16	विधायक निधि	0	552000	552000	0
2016-17	मेरा गांव मेरी सडक	0	13935000	13143000	792000
2016-17	एकल पेयजल योजना	129965000	188067000	176867000	141165000
2016-17	दीन दयाल आवास योजना	0	12250000	9187500	3062500
2016-17	केन्द्र वित्त (बायोगैस)	572886	23126	0	596012
2016-17	मनरेगा	1447500	0	870000	577500
2016-17	विधायक निधि	0	5609000	5609000	0
2016-17	मेरा गांव मेरी सडक	0	1353200	140000	1213200
2017-18	एकल पेयजल योजना	792000	7132000	7324000	6000000
2017-18	दीन दयाल आवास योजना	144465000	165000000	42914000	263251000
2017-18	केन्द्र वित्त (बायोगैस)	3062500	0	0	3062500
2017-18	मनरेगा	596012	0	109054	486958
2017-18	विधायक निधि	577500	0	0	577500
2017-18	मेरा गांव मेरी सडक	0	1174000	0	1174000
2017-18	एकल पेयजल योजना	1213200	0	804050	409150
योग		**788204351**	**1000254008**	**1051707354**	**73675005**

विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है वर्ष 2014-15 से 2017-18 (अगस्त 2017) तक

(धनराशि रु. लाख में)

	प्रारम्भिक शेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
वर्ष	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2014-15	0.00	321014454	0.00	0.00	365095595	498313750	0.00	0.00	0	187796299
2015-16	0.00	187797299	0.00	0.00	240615087	296428000	0.00	0.00	0	131984386
2016-17	0.00	131984386	0.00	0.00	221237326	205816500	0.00	0.00	0	147405212
2017-18	0.00	147405212	0.00	0.00	173306000	51151104	0.00	0.00	0	269560108

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रारम्भिक शेष	321014454	187796299	131984386	147405212
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	365095595	240615087	221237326	173306000
क-केन्द्राशं	4302000	3914400	13894700	6418800
ख-राज्यांश	365095595	236700687	207342626	166887200
ग-अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0
व्यय	498313750	296428000	205816500	51151104
अतिंम शेष	**187796299**	**131984386**	**147405212**	**269560108**

विगत तीन वर्षों से केन्द्रीय, मनरेगा मद से प्राप्त योजनाओं से प्राप्ति तथा व्यय विवरणः- वर्ष 2014-15 से 2017-18 (अगस्त 2017) तक

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
प्रारम्भिक शेष	501000	-	-	2005200
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	4780000	4288000	15288200	7132000
क-केन्द्राशं	4302000	3914400	13894700	6418800
ख-राज्यांश	478000	373600	1393500	713200
ग-अन्य प्राप्तियाँ	-	0	0	0
व्यय	5281000	4288000	13283000	8128050
अतिंम शेष	**-**	**-**	**2005200**	**1009150**

भाग-2(ब)

प्रस्तर1 - **₹ 170.84 लाख की धनराशि व्यय करने के उपरान्त भी 09 योजनाओं का अपूर्ण रहना।**

मनरेगा एवं मेरा गांव मेरी सड़क मद के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में स्वीकृत योजनाओं के हेतु जिला विकास कार्यालय को 14 सड़कों के निर्माण हेतु शासन द्वारा ₹ 12,25,0000/-की दो किस्तें कुल ₹ 2,45,00000/-लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसको विकास खण्डों में अवमुक्त किया जाना था। विभाग ने वर्ष 2015-16 एवं2016-17 में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 1,53,12,500/- अवमुक्त की गई थी। प्रत्येक विकास खण्ड में 2 सड़कों का निर्माण किया जाना था। कार्य योजना हेतु 50%धनराशि शासन/राज्यांश तथा 50% (मनरेगा+मेरा गांव मेरी सड़क) स्वीकृत थी। कार्यों को 2017 के अन्त तक किसी भी दशा में पूर्ण किया जाना था। परन्तु 05 सड़कें ही पूर्ण की तथा 09 सड़कें का निर्माण सितम्बर 2017 तक अपूर्ण था। उक्त अपूर्ण कार्यों पर सम्बन्धित विकास खण्डों द्धा ₹ 170.84/-लाख की धनराशि व्यय की गई थी। जबकि ₹ 147.04/-लाख का व्यय नही हो पाया था। शासन द्वारा पत्र सं.-190 दिनांक 12-06-2017 को उक्त कार्यों हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु तथा विवादित तथा अनारम्भ कार्यों की धनराशि समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु एक वर्ष से अधिक विलम्ब के पश्चात भी कार्यों में प्रगति 28 से 90% के मध्य थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि वर्षान्त में कार्य पूर्ण कर दिए जाएगें तथा सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यपूर्ति हेतु चेतावनी दी गई है।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है कार्यों की पूर्ति में समय का पालन एक महत्वपूर्ण बिन्दु होता है। जिसके लिए सक्षम अधिकारी स्वय उत्तरदायी होते है। कार्यों में विलम्ब के कारण लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है तथा कार्य से प्राप्त होने वाले लाभ जनता को मिल नहीं पाते है तथा समय पर कार्य उदेदश्य की पूर्ति न होने के कारण कार्य योजना में अधिक व्यय होने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता है। कार्यों के समय से पूर्ण न होने से शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का उल्लंघन होता है।

अतः ₹ 317.88 लाख की स्वीकृत 09 कार्य योजनाऐ अपूर्ण रहने से सम्बन्धित प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 2- ब्याज की अर्जित धनराशि ₹ **20.97 लाख राजकोष में जमा न करना।**

शासन के पत्र संख्या 347 दिनांक 17/02/2013 द्वारा यह आदेक्षित किया गया था विभागों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि जैसे राज्य वित्त,केन्द्रीय वित्त,क्षेत्र पंचायत विकास निधि,सांसद निधि, विधायक निधि,मनरेगा इत्यादि) लम्बे समय तक व्यय न होने के कारण बैकों में जमा रहती है जिस पर बैंक से ब्याज भी अर्जित होता है। ऐसी प्राप्त ब्याज की धनराशि का वर्षवार विवरण स्रोतवार उपलब्ध कराते हुए राजकोष में जमा करवाने हेतु कार्यवाही करे। तथा शासन को भी कार्यवाही से अवगत करायें।

जिला विकास कार्यालय में विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित अनुदान पंजिकाओं की जाँच में पाया गया कि विभाग को निम्न मदों के अन्तर्गत ब्याज की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसको कोषागार में सम्बन्धित लेखाशीर्षक 0049 ब्याज प्राप्तियाँ में जमा नहीं कराया गया था।

क्र.स.	मद का नाम	धनराशि	तिथि
1.	मेरा गांव मेरी सड़क	₹ **17,36,264/-**	31-03-2017
2.	मनरेगा	₹ **3,60,824/-**	31-08-2017
	योग	₹ **20,97,088/-**	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि ब्याज की राशि जमा कराने हेतु निर्देश किए जा रहे है। उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। तथा वस्तु स्थिति से सम्प्रेक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर३- विभिन्न मदों की अवरुद्ध धनराशि ` **12.49 लाख शसन को सम्पर्ति न करना।**

1. जिला विकास कार्यालय को शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष योजना के सांपेक्ष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु धनराशि विकास खण्डों/लार्भिथयों को उपलब्ध कराई जाती है। जिसका उपयोग सम्बन्धित वर्ष के अन्त तक किया जाना आवश्यक रहता है ताकि समय से लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके।

इकाई में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दीनदयाल उत्तराखण्ड आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि से सम्बन्धित अनुदान पंजिका/पत्रावली की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में 22 आवासों के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा ` 16950/-की धनराशि लाभर्थियों को अवमुक्त कराने हेतु उपलब्ध कराई गई थी। जिसका उपयोग विभाग द्वारा 31-03-2016 तक आवश्यक रुप से किया जाना था तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र लाभर्थियों की सूची शासन को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था।जाँच में पाया गया 22आवासों के निर्माण पूर्ण होने से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र(भौतिक एवं वित्तीय)उपलब्ध कराये गये है परन्तु(28912+32652)=761564/-की धनराशि उक्त मद के अन्तर्गत बैक खातों में अवशेष पड़ी थी। जो कि वित्तीय प्रगति रिपोट से भिन्न है। उक्त धनराशि को विभाग द्वारा शासन को न तो सम्पर्ति किया गया था तथा न ही समायोजन की कार्यवाही की गई थी जिसके कारण उक्त धनराशि विभाग के पास अवरुद्ध थी। जिसमें ` 244437/-की धनराशि ब्याज की राशि भी सम्मलित थी।

2. दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ की गई थी। इस संबंध में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त मद में वर्ष2013-14 में ` **323000/-**की धनराशि अवमुक्त की गई थी तथा मार्च 2014 को योजनाओ की पूर्ति हेतु ` **668259/-(**पास के अनुसार) तथा मार्च 2016को ` **573616**/-की धनराशि अवशेष थी। उक्त धनराशि से अन्तिम व्यय जून 2017 में ` 109054/-की धनराशि का किया गया है। इसके पश्चात भी खाते में ` 487688/-की धनराशि अवशेष थी। जबकि कोई योजना अवशेष नही थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उक्त धनराशि

योजनाओं से बचत अवशेष धनराशि है। जिसमें ` **227994/-**की ब्याज की राशि भी सम्मलित है।(128912+632652)=1249052

उत्तर संतोष जनक नही है क्योंकि दोनों योजनाओं के अन्तर्गत 487488 को धनराशि विभाग के पास अवरुद है जिसको शासन को सितम्बर 2017 तक सम्पर्ति नही किया था। इस प्रकार शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन नहीं किया गया था क्योंकि बिना किसी कारण धनराशि को अवरुद रखना तथा असमायोजित रहना वित्तीय नियमों का भी उल्लंघन है।

शासन को धनराशि ` 1249052/-सम्पर्ति न करने तथा नियमों के विरुद्व अवरुद्व रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 4- जनपद स्तरीय अधिकारियों को शासकीय आदेशों अनुसार भ्रमण एवं निरीक्षण न करना।

आयुक्त ग्राम्य विकास के पंत्राक 08/बै.स.-52/सामीक्षा/कार्यवृत/2016-17 दिनांक 02-04-2016 के द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत अधिकारियों हेतु प्रतिमाह भ्रमण एंव निरीक्षण हेतु शासनादेश में दिए गए निर्देश अनुसार जनपद स्तर पर क्रमशः मुख्य विकास अधिकारी को प्रत्येक माह 05 निरीक्षण रात्रि विश्राम,परियोजना निदेशक/अपर परियोजना निदेशक एवं जिला विकास अधिकारी को 10-10निरीक्षण/रात्रि विश्राम,खण्ड विकास अधिकारी को 15 निरीक्षण रात्रि विश्राम एवं सहायक खण्ड विकास अधिकारी को 20 निरीक्षण/रात्रि विश्राम निर्धरित किए गए थे तथा मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के प्रतिवेदन निदेशालय ग्राम्य विकास को प्रेषित किए जाने थे।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया विभाग द्वारा उक्त निरीक्षणों से सम्बन्धित पंजिका का रखरखाव नही किया जा रहा था। तथा जिला विकास अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा निर्धारित निरीक्षण से कम निरीक्षण किए गए थे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनसार मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 02 से 04 ही निरीक्षण प्रतिमाह किए गए थे तथा जिला विकास अधिकारी द्वारा प्रतिमाह 02 निरीक्षण किए गए थे।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में निरीक्षण पंजिका का रखरखाव भविष्य में करने हेतु उल्लिखित कर दिया तथा शेष के सम्बन्ध में मासिक विवरण प्रस्तुत किया/ निदेशालय को निरीक्षणों से सम्बन्धित प्रतिवेदन का विवरण उपलब्ध नही था।

उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि पंजिका का रखरखाव अनिवार्य है तथा विवरण के अनुसार भी स्थलीय निरीक्षण/विश्राम निर्धारित मानकों से कम के अनुसार निरीक्षण न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 5- ₹ 154.35 लाख के अपूर्ण कार्य।

विधायक निधि से सम्बन्धित अनुदान पंजिका/बजट पत्रावली एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग को वर्ष 2016-17 में विभिन्न विकास खण्डों एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्ययोजनाओं के सम्पादन हेतु ₹ 1880.67/-लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। अवमुक्त धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाणपत्र मार्च 2017 तक शासन को प्रेषित किया जाना था। परन्तु अभिलेखों में पाया गया कि माननीय 04 विधान सभा सदस्यों द्वारा स्वीकृत1011 कार्ययोजनाओं के सापेक्ष 228 कार्य(सितम्बर 2017) तक अपूर्ण थे, जिनकी स्वीकृत लागत ₹ 154.35 लाख थी। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा केवल ₹ 67.42 लाख का उपयोग किया गया था। कार्यों के सम्पादन की अवधि 3 महीने थी। कार्यादेश निर्गत करने के पश्चात 09 माह से 01 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी थी परन्तु लक्ष्यों की प्राप्ति नही हो पाई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि भौगिलिक स्थिति के कारण कार्यों में विलम्ब हुआ है तथा सभी कार्य प्रगति पर है तथा संस्थानों को कार्यपूर्ण करने एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्यदायी संस्थाओं को समयान्तर्गत कार्य सम्पादन करवाने हेतु दायित्व सम्बन्धित विभाग का है। कार्ययोजनाओं को समय पर पूर्ण न होने से कार्ययोजना के उदेदश्य की पूर्ति नही होती है। तथा कार्य योजना का लाभ स्थानीय जनता को नहीं मिल पाता है

अतः ₹ 154.35 लाख के अपूर्ण कार्यों से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 6- शासन से प्राप्त धनराशि को कार्यदायी संस्थानो को समय से अवमुक्त न करना ` **2663.14 लाख।**

प्रत्येक मद के अन्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को इस आशय से निर्वतन पर रखा जाता है कि सम्बन्धित धनराशि को कार्यदायी संस्थानों को शीध्र उपलब्ध करा कर कार्ययोजनाओं को समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराया जा सके। प्रत्येक अवमुक्त धनराशि में यह स्पष्ट रुप से निर्देशित किया जाता है कि अवमुक्त धनराशि का सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ही उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जाए।

जिला विकास कार्यालय नैनीताल में विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्त अनदान से सम्बन्धित अभिलेखों को जाँच में पाया गया कि विभाग को शासन से वर्ष 2016-17 व 2017-18 में निम्न मदों के अनुसार धनराशि उपलब्ध हुई थी जो कि 2 से 8 माह से अधिक समय के पश्चात भी कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त नही की गई है।

(धनराशि ` **लाखों में)**

क्र.स.	**मद का नाम**	**2016-17 में प्राप्त धनराशि**	**अवशेष धनराशि**	**2017-18 में उपलब्ध धनराशि**	**अवशेष धनराशि**
1.	विधायक निधि	1880.67	1411.65	1650.00	2632.51
2.	मेरा गांव मेरी सड़क	122.50	30.63	-	30.63
योग-		**2003.17**	**1442.28**	**1650.00**	**2663.14**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि वर्ष के अन्त में धनराशि प्राप्त होने एवं कार्य प्रगति पर होने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं हो पाया है। धनराशि का उपयोग वर्ष 2017-18 में किया जायेगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्राप्त धनराशि को लम्बे समय तक अवमुक्त न करने से कार्ययोजनाओं के समयान्त्रर्गत/ सम्पादन में प्रभाव पड़ सकता है तथा कार्यों में अनावश्यक विलम्ब हो सकता है। धनराशि को अवरुद्व रखना वित्तीय नियमें एवं शासकीय दिशा निर्देशों का भी उल्लघंन है।

अतः धनराशि को कार्यदायी संस्थाओं को सम्बन्धित वित्तीय वर्षें में अवमुक्त न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
12/2000-01	4	-
23/2007-08	-	1,4
169/2008-09	1	1,2
131/2013-14	-	1(i),1(ii) तथा STAN
68/2015-16	-	1 ,2,3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला विकास अधिकारी, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

- **(i)** दिनांक 01/08/2015 से 27/11/2015 की डाक प्रेषण पंजिका।
- **(ii)** इकाई के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा की गई यात्राओं के बिलों से संबन्धित पत्रावलियाँ।
- **(iii)** विगत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री एस0 एस0 शर्मा	जिला विकास अधिकारी (दिनांक 01/08/2015 से 28/09/2016 तक)
(ii)	श्री पी0 एस0 चौहान	जिला विकास अधिकारी (दिनांक 29/09/2016 से वर्तमान तक)

लघू एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर कार्यालय जिला विकास अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड, को इस आशय से प्रेषित कि वे इसकी अनुपालन/टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर व. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सीधे प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय